बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

संकल्प

संख्या– TDRT/50010/02-2024........................पटना–15, दिनांक...............................

विषयः– **बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग (संशोधन) नीति–2025**

1. बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति, 2024 का निरूपण संकल्प सं 4095 दिनांक 13.09.2024 के द्वारा किया गया है। उक्त नीति में पत्र–पत्रिकाओं में सम्पादकीय/एडभरटोरियल/आलेख/विज्ञापन प्रकाशन का प्रावधान कंडिका 5 (V) में किया गया है। उक्त प्रावधान के तहत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र–पत्रिकाओं में D.A.V.P में संबद्धता/सूचीबद्धता नहीं होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशन में व्यवहारिक कठिनाई हो रही है।

बिहार राज्य में अवस्थित हवाई अड्डा पर फर्मों/मीडिया को विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार हेतु एकाधिकार प्राप्त है परन्तु उक्त स्थल पर उनका D.A.V.P में सूचीबद्धता नहीं है। उक्त स्थल पर विशेष आयोजनों यथा सोनपुर मेला/श्रावणी मेला/पितृपक्ष मेला/छठ पूजा/कालचक्र पूजा आदि महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार पर्यटन की ब्रांडिंग करने में भी व्यवहारिक कठिनाई हो रही है।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा उपर्युक्त सदृश्य मामलों के निराकरण हेतु बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 के नियम 5 एवं 6 में महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं एवं फर्म/मीडिया के चयन एवं दर निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया है ।

2. सूचना एवं जन संपर्क विभाग के तर्ज पर महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं एवं बिहार राज्य के अवस्थित हवाई अड्डों पर एकाधिकार प्राप्त फर्मों जिनका डी.ए.वी.पी. दर नहीं है, के चयन एवं दर निर्धारण हेतु बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति, 2024 में कंडिका 8.3 के रूप में एक नई कण्डिका जोड़ी जाती है जो निम्नवत हैः–

"8.3.1 बिहार पर्यटन के ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग हेतु महत्वपूर्ण पत्र/पत्रिकाओं तथा बिहार राज्य में अवस्थित हवाई अड्डों पर एकाधिकार प्राप्त फर्मों जिनका डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त नहीं है, उनका चयन एवं दर निर्धारण हेतु निम्नवत् दर निर्धारण समिति का गठन किया जाता हैः–

1.	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, पर्यटन	सदस्य
3.	उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय	सदस्य
4.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग	सदस्य
5.	वरीय सहायक निदेशक, पर्यटन निदेशालय	सदस्य

8.3.2. उपरोक्त समिति का निम्न दायित्व होगा–

i) ऐसी पत्र–पत्रिकाएँ जिनकी सूचीबद्धता D.A.V.P में नहीं है तथा वे पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनकी विज्ञापन/प्रकाशन/आलेख इत्यादि के लिए उपयोगिता का आकलन किया जाना एवं दर की अनुशंसा किया जाना।

ii) उपरोक्त वर्ग की पत्र–पत्रिकाओं में संपादकीय/एडभरटोरियल/ विज्ञापन प्रकाशन हेतु पत्रिकाओं के Circulation/Readership/Popularity के आधार पर पत्र–पत्रिकाओं का चयन एवं दर का निर्धारण किया जाना।

iii) बिहार राज्य में अवस्थित हवाई अड्डों में एकाधिकार प्राप्त एजेंसी (डी.ए.वी.पी. दर नहीं होने पर) का पर्यटकीय दृष्टिकोण से आकलन कर विशेष अवसरों पर जैसे– सोनपुर मेला, श्रावणी मेला, पितृपक्ष इत्यादि के लिए विज्ञापन प्रकाशन एवं दर की अनुशंसा करना। यह अनुशंसा मात्र विशेष अवसरों के लिए ही रहेगी।

8.3.3. उपर्युक्त पर होने वाले व्यय का वहन नीति में प्रावधानित मद के अंतर्गत किया जायेगा।

8.3.4. नीति की शेष शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– TDRT/50010/02-2024/.......... प0वि0, पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– TDRT/50010/02-2024/1005 प0वि0, पटना, दिनांक 25.04.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, के सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना/सचिव, पर्यटन के विशेष कार्य पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव